न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 06/2017 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्रीमती शरीफन पुत्री नूर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी लोहारों का बास, ग्राम रोहट, तहसील रोहट जिला पाली हाल मुकाम शिफत हुसैन कॉलोनी, रामबाग की पीछे, महामन्दिर जोधपुर		1. बुन्दु खॉ पुत्र नूर मोहम्मद उम्र बालिग, जाति मुसलमान निवासी ग्राम रोहट, तहसील रोहट जिला पाली 2. दीन मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद उम्र बालिग, जाति मुसलमान निवासी ग्राम रोहट, तहसील रोहट जिला पाली 3. ग्राम पंचायत रोहट जरिये सरपंच रोहट, पंचायत समिति रोहट 4. ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत रोहट पंचायत समिति रोहट

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता अनुपस्थित

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 22.01.2018

प्रार्थियां की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, रोहट के मिसल संख्या 38/2005–06 दायर दिनांक 13.10.2005, प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 05.06.2006 एवं उसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 773 को निरस्त कराये जाने हेतु पेश किया। प्रार्थियां का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया जाकर ग्राम पंचायत से रेकार्ड तलब किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थियां लम्बे समय से सुनवाई तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं रहने से बहस अधिवक्ता अप्रार्थीगण सूनी गई तथा गुणावगुण पर निर्णय के लिए पत्रावली का भी अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत निगरानी में प्रार्थिया निगरानीकर्ता की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थिया की एक पुश्तैनी जायदाद ग्राम रोहट तहसील रोहट जिला पाली में आई हुई है। जिसमें प्रार्थिया 1/3 हिस्से की हकदार है। जिसके पडौस उत्तर में लछीराम वैष्णव, दक्षिण में हारून रशीद, पूर्व में सड़क और पश्चिम में गली 6 फुट है। उक्त जायदाद का बनाप उत्तर भूजा 80 फुट दक्षिण भुजा 80 फुट, पूर्वी भुजा 20 फुट एवं पश्चिम की भुजा 20 फुट है। कुल क्षेत्रफल 1600 वर्गफुट (144.40 वर्ग मी.) है। प्रार्थिया निगरानीकर्ता के पिता नूर मोहम्मद की मृत्यु दिनांक 09.12.2013 को हो चूकी है। प्रार्थिया के भाई दीन मोहम्मद व बुन्दु खां ने ग्राम पंचायत से मिली भगत कर पुश्तैनी जायदाद को आपस में बांटकर पट्टे जारी करवा लिए है। जैर निगरानी पट्टा संख्या 773 भी जारी किया गया है। जो ग्राम पंचायत ने नियमों के खिलाफ जारी किया है। जो काबिल निरस्त है। जैर निगरानी भूखण्ड प्रार्थिया के पूर्वजों का पूश्तैनी भूखण्ड है। जिसके अन्दर सभी वारिशान (उत्तराधिकारियों) का हक निहित हो जाता है और उसमें प्रार्थिया का भी हक होने से उसके भाई दीन मोहम्मद व बुन्दु खां के नाम जारी किया गया पट्ट निरस्त फरमाया जावें। प्रार्थिया के पिता नूर मोहम्मद के विधिक वारिशान उनकी पत्नी, तीन पुत्र व चार पुत्रियां है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा उपरोक्त सभी के उत्तराधिकारियों के नाम का जारी किया जाना चाहिए था। जो नहीं किये जाने से काबिल निरस्त है। बुन्दु खां व दीन मोहम्मद द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। पट्टा भूमि आपसी बातचीत रूपये 200/– की बाजार दर

क्रमशः::2

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

पर बेची गई है तथा विक्रय पंचायत के प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 05.06.2006 को नियमों के विरूद्ध स्वीकृत किया गया है। उक्त जैर निगरानी भूमि पंचायत की नहीं है। फिर भी विक्रेता बन कर बेचाण कर रही है। जो विधि विरूद्ध होने से विक्रय विलेख खारिज योग्य है। विक्रय विलेख रजिस्ट्रड होना चाहिए था। जो नहीं करवाया गया है। इसलिए भी पट्टा खारिज योग्य है। जैर निगरानी भूखण्ड की राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 150 से 152 के अनुसरण में निलामी की जानी चाहिए थी। जो नहीं की गई है। इसलिए भी पट्टा निरस्त योग्य हैं। कार्यालय ग्राम पंचायत रोहट द्वारा जारी विक्रय विलेख अनुसार मिसल संख्या 38/2005–06 दायरा दिनांक 13.10.2005 कायम कर पट्टा जारी किया गया, बताया है। लेकिन उक्त मिसल एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत में नहीं है। जो कानून की मंशा के खिलाफ होने से निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा तीन वार्ड पंचों की कमेटी नियुक्त नहीं की गई, न पंचों द्वारा मौका देखा गया है। नियम 147 के तहत पट्टा जारी करने बाबत अन्तरिम निर्णय नहीं लिया गया है तथा नियम 148 के तहत एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी नहीं किया गया है। यह सभी प्रावधान आज्ञापक है एवं इनकी पालना नहीं किए जाने से पट्टा खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी भूखण्ड का विक्रय विलखे पूर्व में ग्राम पंचायत रोहट द्वारा महेन्द्र सिंह पुत्र भंवरलालजी कलाल निवासी रोहट के पक्ष में मिसल संख्या 230/1981–82 कायम कर पट्टा संख्या 1 दिनांक 30.09.1981 जारी किया गया है। महेन्द्रसिंह द्वारा उक्त पट्टे में से 20 x 80 का हिस्सा जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के दिनांक 10.01.1986 के द्वारा हारून रशीद पुत्र अब्दुल अजीजजी जाति मुसलमान निवासी सोजती गेट के अन्दर, जोधपुर को दक्षिण दिशा वाला हिस्सा विक्रय किया। हारून रशीद द्वारा उक्त खरीदशुदा भूखण्ड नूर मोहम्मद जी के पक्ष में दिनांक 04.09.1999 को आम मुख्तियारनामा निष्पादित किया गया है। आम मुख्तियार की हैसीयत से नूर मोहम्मद जी ने दो अलग–अलग विक्रय विलेख अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में दिनांक 01.04.2000 व 28.08.2000 को निष्पादित कर दिए। जिसके अनुसार स्पष्ट है कि भूमि पुश्तैनी नहीं है। इसी भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा पट्टा जारी करवाया गया है। जो नवीनीकरण मात्र है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 केता के रूप में बहैसीयत मालिक काबिज है। उपरोक्त पट्टे से प्रार्थिया किसी भी रूप से व्यथित व हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से निगरानी खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर निगरानी भूखण्ड का पट्टा पूर्व में ग्राम पंचायत रोहट द्वारा महेन्द्रसिंह पुत्र भंवरलाल कलाल निवासी रोहट को जरिये विक्रय विलेख संख्या 01 दिनांक 30.09.1981 को मिसल संख्या 230/81–82 कायम कर जारी किया गया। महेन्द्रसिंह द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचाण दिनांक 10.01.1986 को हारून रशीद पुत्र अब्दुल अजीज जी जाति मुसलमान निवासी सोजती गेट के अन्दर, जोधपुर को किया गया तथा हारून रशीद द्वारा उक्त खरीदशुदा भूखण्ड नूर मोहम्मद जी के पक्ष में दिनांक 04.09.1999 को आम मुख्तियारनामा निष्पादित किया गया है। आम मुख्तियार की हैसीयत से नूर मोहम्मद जी ने दो अलग–अलग विक्रय विलेख अप्रार्थी संख्या 1 बुन्दु खां व 2 दीन मोहम्मद के पक्ष में दिनांक 01.04.2000 व 28.08.2000 को निष्पादित कर दिए। जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जैर निगरानी पट्टा भूमि प्रार्थिया की पूश्तैनी नहीं होकर महेन्द्रसिंह पुत्र भंवरलाल कलाल की कब्जासुदा एवं पट्टा सुदा भूखण्ड है।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

क्रमशः::3

इस प्रकार प्रार्थिया का जैर निगरानी भूमि पुश्तैनी होने बाबत कथन का आधार नहीं होने से निगरानी खारीज योग्य है। प्रार्थिया प्रस्तुत निगरानी में हितबद्ध पक्षकार भी नहीं है तथा विक्रय विलेखधारी श्री महेन्द्र सिंह पुत्र भंवरलाल द्वारा उक्त भूमि का बेचाण हारून रसीद वल्द अब्दुल अजीज मुसलमान निवासी जोधपुर को जरिये रजिस्ट्री 30.01.1986 को ही बेचान कर दिया गया था एवं हारून रसीन ने जरिये मुख्तियार श्री नूर मोहम्मद के जैर निगरानी भूमि का बेचाण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को दिनांक 01.04.2000 के जैर निगरानी भूखण्ड का 20 x 20 फीट हिस्सा बेचाण कर दिया एंव शेष 20 x 60 फीट हिस्सा का बेचाण दिनांक 28.08.2000 को कर दिया। जिसके पत्रावली संलग्न पंजीकृत रजिस्ट्री की फोटो प्रतियों से स्पष्ट है कि उक्त भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की क्रय सुदा भूमि है एवं उनका मालिकाना हक व कब्जा है। सन् 1981–82 के पश्चात 35 वर्ष व्यतीत होने एवं उनके कब्जा एवं हक की खरीदसुदा भूमि होने से वैधानिक रूप से वह मालिक है। ग्राम पंचायत द्वारा मिसल व बैठक कार्यवाही रजिस्टर पंचायत रेकार्ड में उपलब्ध नहीं होने का उल्लेख अपने पत्र में किया है। ऐसी स्थिति में विक्रय विलेख जारी करनें की प्रक्रिया की पालना की समीक्षा किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थिया द्वारा इस प्रकरण में भी अप्रार्थीगण बुन्दुखां, दीन मोहम्मद, ग्राम पंचायत रोहट व ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत रोहट के नाम भी एफ.आई.आर. 67/2017 पुलिस थाना रोहट में पेश की जिस बाबत पुलिस ने प्रकरण में नतीजा आदेश एफ.आर. संख्या 28 दिनांक 17.06.2017 अदम वकू में स्वीकृत कराने हेतु संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है। न्यायालय सी.जे.एम. कोर्ट पाली में प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद भी अधिवक्ता अप्रार्थी के कथनानुसार खारिज हो चुका है। ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त जैर निगरानी पट्टा भूमि से संबंधित पत्रावली पंचायत में उपलब्ध नहीं होने से न्यायालय में प्रेषित नहीं की है। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही को प्रश्नगत करने का कोई ठोस आधार नहीं होने से जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत रोहट के मिसल संख्या 38/2005–06 दायर दिनांक 13.10.2005, संकल्प संख्या 05 दिनांक 05.06.2006 एवं उसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 773 दिनांक 05.06.2006 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ ग्राम पंचायत रोहट से प्राप्त मूल रेकर्ड प्रेषित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर, पाली